



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecd nainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

2119 / 18mg

दिनांक:- 19/07/2018

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कालेज रोड तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण एवं कूल-बिरखन-सूड़ मोटर मार्ग का निर्माण (FP/UK/ROAD/8187/2014)
संदर्भ:- आपका EDS दिनांक 04.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित EDS दिनांक 04.07.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या आन लाइन कर आपको निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

कंस0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	Please provide VLC Proceeding for each village separately with separate attendance sheet according to filed detail in B-2.2 Village wise breakup along with FRA	वी0एल0सी0 कमेटी रिपोर्ट Village wise backup अलग-अलग तैयार कर फार्म-1 के पैरा-के अपलोड कर दिया गया है।
2	Justification for locating the project duly countersigned by DFO is not provided .	Online upload कर दी गयी है।
3	User agency may review the information filed at para -E of online part-1 regarding employment likely to be generated during the construction of this project as the date provided does not appear to be correct.	सही अंकित कर दिया गया है।
4	Convert land owner for CA land in L(iv)(e)(form user agency to other)	Online upload कर दी गयी है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाना है कि इस मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनांक 21.11.2014 को आन लाईन अपलोड किया गया था, जिसका प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/8187/2014 प्राप्त हुआ था, जिसका आपके स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त एकनालेजमेंट स्लिप जारी किया गया था, और निर्देशित किया गया था कि प्रस्ताव की हस्ताक्षरयुक्त हार्ड कापी हस्ताक्षर के उपरान्त उपलब्ध कराये। इस कार्यालय के पत्रांक 1943/18एम0जी0 दिनांक 10.08.2016 द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 11.08.2016 को उपलब्ध करा दी गयी थी। प्रस्ताव पर अनेकों बार आपके स्तर से आपत्तियां लगायी

अधीक्षक
कार्यालय
वन संरक्षण इन्दिरानगर कालोनी
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
20/7

गयी, जिसका निराकरण समय-समय पर खण्ड स्तर से किया जाता रहा। अंतिमवार आपके EDS दिनांक 5.4.2018 आन लाइन के माध्यम से दिनांक 11.4.2018 को 5 बिन्दुओं पर आपत्तियों में प्राप्त हुआ था, इन आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1084/18एम0जी0 दिनांक 16.04.2018 द्वारा आख्या दिनांक 17.04.2018 को आन लाइन करते हुए हार्ड प्रतियां प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को प्रेषित कर दी गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताला द्वारा भी आख्या आन लाइन आपको प्रेषित कर दी गयी थी, लेकिन दिनांक 09.05.2018 के बाद प्रस्ताव खण्ड की आई0डी0 में प्रदर्शित नहीं हो रही थी। प्रस्ताव की स्थित पोर्टल पर खण्ड की आई0डी0 में प्रदर्शित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1483/18एम0जी0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु फिर भी प्रस्ताव आन लाइन में प्रदर्शित नहीं होने की दशा में आपके कार्यालय में आन लाइन प्रस्तावों को देख रही सुश्री काण्डपाल जी से इस संबंध में दूरभाष पर वार्ता की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव को पुनः अपलोड कर दीजिये, उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्ताव पुनः दिनांक 23.06.2018 को अपलोड कर दिया गया है। जिस पर आपके द्वारा संदर्भित ई0डी0एस0 द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण उपरोक्तानुसार प्रेषित है।

महोदय उक्त के अतिरिक्त आपके संज्ञान में यह भी लाया जाना है कि यह मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 में स्वीकृत है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय मा0 विधायक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही से नित्य अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। महोदय इस मार्ग की स्वीकृति वर्ष से लगभग 10 वर्ष के समय अन्तराल में भी वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त न होने एवं अनावश्यक विलम्ब की दशा में मा0 विधायक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा आकोश व्यक्त किया जाता रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रकरण को संज्ञान में रखते हुए अपने स्तर से वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान कराये जाने हेतु तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

19/07/18
(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिसारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-लो0नि0विभाग,
नैनीताल।

पत्रांक:-

2119 / 18एम

दिनांक:-

19/07/18

प्रतिलिपि मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र नैनीताल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी संबंधित को लिखने की कृपा करें।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/07/18
अधिसारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-लो0नि0विभाग,
नैनीताल।